राजस्व लोक अदालत केम्प वर्ष-2016

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुमेरपुर, जिला पाली (राजस्थान)

राजस्व लोक अदालत केम्प अटल सेवा केन्द्र–खिमाडा

पीठासीन अधिकारीः– श्री महीपाल भारद्वाज, RAS

राजस्व वाद सं. 69/2011
दायरा तिथि 19.08.2011
निर्णय तिथि 18.06.2016

वादीनीः– **बनामः**

1–लक्ष्मीदेवी पुत्री मनाजी पत्नी चेनाजी
2–राधा पुत्री मनाजी पत्नी रताजी
जातिगण खटीक निवासीगण खांगडी
हाल साण्डोलिया रणछोडनगर
पहला विभाग जगतपुरारोड
अहमदाबाद

प्रतिवादीनीः–

1–सुगनादेवी पत्नी रूगीयाजी
जाति खटीक निवासी खांगडी
हाल लखुडी तालाब सरदार पटेल
कॉलोनी अहमदाबाद
2–रमीला पुत्री रूगीयाजी पत्नी भीमाजी
जाति खटीक निवासी बालराई
हाल लखुडी तालाब सरदार पटेल
कॉलोनी अहमदाबाद

उपखण्ड अधिकारी सुमेरपुर (राजस्थान) जिला-पाली

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 आर.टी.एक्ट,1955

–: नि र्ण य :–

दिनांक 18.06.2016

उपरोक्त प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है–

(1) कि उपरोक्त अनवान की पत्रावली राजस्व लोक अदालत केम्प अटल सेवा केन्द्र–खिमाडा में बरोज आज पेश हुई। वादीनी–पक्ष उपस्थित, प्रतिवादीनी–पक्ष अनुपस्थित। प्रश्नगत् मामले में भू–अभिलेख निरीक्षक कोसेलाव ने वादग्रस्त कृषि भूमि के बारे में रेकर्ड एवं मौका स्थिति की जांच रिपोर्ट पेश की जिसे रेकर्ड पर लिया गया। हमने, वादीनी–पक्ष की दलील को सुना, साथ ही पत्रावली का अवलोकन व परीक्षण किया। प्रकरण की वाद–विषयक स्थिति अनुसार वादीनी ने प्रतिवादीनी के विरूद्ध कतिपय प्रावधानों के तहत इस वादपत्र के जरिए जाहिर किया है कि सरहद मौजा खांगडी, पटवार सर्कल खिमाडा, तहसील सुमेरपुर में स्थित वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नं. 205 रकबा 0.95 हेक्टर व खसरा नं. 285 रकबा 0.53 हेक्टर कुल रकबा 1.48 हेक्टर वादीनी के पिता स्व.मना पुत्र पनाजी की खातेदारी दर्ज थी। उक्त कृषि भूमि पर वादीनी के पिता स्व. मनाजी का उनके जीवनकाल में व उनकी मृत्यु पश्चात् विधिक उत्तराधिकारी वादीनी का कब्जा काश्त आज तक चला आ रहा है, परन्तु वादीनी के पिता मना पुत्र पनाजी की मृत्यु होने के बाद व उनके पुत्र नहीं होने से उक्त वादग्रस्त भूमि वादीनी के चाचा व उसके बाद प्रतिवादीनी के नाम गलत रूपेण राजस्व रेकर्ड में दर्ज कर दी है, जबकि कानूनन उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि वादीनी के नाम खातेदारी दर्ज करनी चाहिए थी। इसलिए ऐसा नहीं किए जाने से वादग्रस्त भूमि के बारे में खातेदारी से प्रतिवादीनी का नाम हटाया जाकर वादीनी के नाम खातेदारी दर्ज करने व वादीनी के कब्जे काश्त में प्रतिवादीनी किसी प्रकार से दखलंदाजी या हस्तक्षेप नहीं करे, इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्ति हेतु अनुतोष चाहा गया है। वादीनी ने वादपत्र के साथ दस्तावेज क्रमशः संबंधित पास–बुक की छाया प्रति, खसरा गिरदावरी व जमाबंदी संवत् 2066–69 की प्रमाणित प्रतियां पेश की है।

(2) कि प्रश्नगत् मामला पंजीबद्ध किया गया। प्रतिवादीनी ने अपने जवाबदावा में वादतथ्यों को नकारते हुए विशेष कथनों में जाहिर किया कि वादग्रस्त भूमि पूर्व से ही खातेदार गुलाबचंद वल्द पन्नाजी खटीक के नाम दर्ज रही, गुलाबचंद की मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारी नथाराम व रगाराम के नाम दर्ज हुई और नथाराम व रगाराम की मृत्यु पश्चात् प्रतिवादीनी सं.01 व 02 के नाम खातेदारी दर्ज हुई, तब से प्रतिवादीनी के नाम खातेदारी बदस्तुर दर्ज है। इसलिए वादीनी का यह वादपत्र कानूनन चलने योग्य नहीं होने से इसे सव्यय खारिज फरमावे। प्रतिवादीनी द्वारा जवाबदावा के साथ दस्तावेज क्रमशः खतौनी बंदोबस्त संवत् 2009–28, जमाबंदी संवत् 20230–33, मिसल बंदोबस्त संवत् 2037–56, मिलान क्षेत्रफल व जमाबंदी संवत् 2066–69 की प्रमाणित प्रतियां पेश हुई है।

लगातार–2

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर, जिला-पाली

Scanned by CamScanner

(3) कि प्रश्नगत् मामले में भू–अभिलेख निरीक्षक कोसेलाव के द्वारा वादग्रस्त कृषि भूमि के बारे में रेकर्ड एवं मौका स्थिति की प्रस्तुत की गई जांच रिपोर्ट अनुसार ग्राम खांगडी के गत् खसरा नं. 18 खसरा नं. 59 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नं. 60 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा व खसरा नं. 100 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा कुल भूमि 6 बीघा 7 बिस्वा सेटलमेंट पूर्व से जमाबंदी संवत् 2022–25 के अनुसार नथा, रूगा पि.गुला कौम खटीक के नाम खातेदारी भूमि दर्ज है। उपरोक्त गत् खसरा नं. 59 व 100 के हाल खसरा नं. 205 रकबा 0.95 हेक्टर व खसरा नं. 285 रकबा 0.53 हेक्टर किस्म बा.ा जमाबंदी संवत् 2070–73 के खाता सं.47 के अनुसार नथाराम पि.गुलाराम सुगनादेवी बेवा रूगीया, रमीला पुत्री रूगीया कौम खटीक सा.देह खातेदार दर्ज है। इसके अलावा भू–अभिलेख निरीक्षक कोसेलाव ने कथित जांच रिपोर्ट में यह भी अवगत् कराया है कि खतौनी बन्दोबस्त संवत् 2009–28 से आज तक गुलाब पुत्र पन्ना के वारिसदारों के नाम खातेदारी भूमि दर्ज रही है, वादीनी के पिता मना पुत्र पन्ना के नाम आज तक खातेदारी भूमि दर्ज नहीं रही है, इसलिए पत्रावली खारिज योग्य है।

हमने, राजस्व लोक अदालत की भावना के तहत प्रश्नगत् मामले में उपलब्ध तमाम साक्ष्य–दस्तावेजात, रेकर्ड इत्यादि तथा प्रकरण की वाद विषयक स्थिति बाबत् विधिक विचारण किया, तत्पश्चात् हमने पाया है कि वादग्रस्त कृषि भूमि बाबत वादीनी–पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य दस्तावेजात इत्यादि से वाद तथ्यों की प्रथमतः पुष्ठि नहीं होती है, बल्कि प्रतिवादीनी–पक्ष की ओर से उपलब्ध कराये साक्ष्य दस्तावेजात व भू–अभिलेख निरीक्षक कोसेलाव की तथाकथित जांच रिपोर्ट अनुसार जवाबदावा में वर्णित तथ्यों की बखुबी पुष्ठि होती है, और इस प्रकार हमारे विधिक विचारों में वादग्रस्त कृषि भूमि बाबत वादीनी का यह वादपत्र कतिपय प्रावधानों के तहत प्रतिवादीनी के विरूद्ध प्रथम दृष्ट्या चलने योग्य व पोषणीय प्रतीत नहीं होने से इसे सव्यय खारिज किया जाना उचित समझते है।

अतः उल्लेखित विश्लेषण व विवेचित तथ्यों के परिणामतः वादीनी का यह वादपत्र विरूद्ध प्रतिवादीनी के सरहद मौजा खांगडी, पटवार सर्कल खिमाडा, तहसील सुमेरपुर में स्थित वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नं. 205 रकबा 0.95 हेक्टर व खसरा नं. 285 रकबा 0.53 हेक्टर कुल रकबा 1.48 हेक्टर के बारे में खातेदारी घोषणात्मक व स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्ति हेतु कतिपय प्रावधानों के तहत प्रथम दृष्ट्या चलने योग्य व परिपोषणीय प्रतीत नहीं होने से इसे खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–2 वहन करे। माफिक निर्णय डिक्री–पर्चा मुर्तिब हो।

यह निर्णय बरोज आज दिनांक 18.06.2016 को राजस्व लोक अदालत केम्प अटल सेवा केन्द्र–खिमाडा में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर(पाली)
सुमेरपुर, जिला–पाली

उपखण्ड अधिकारी सुमेरपुर, जिला-पाली (राजस्थान)

Scanned by CamScanner